

Most Immediate
By Speed Post/Fax

No.U.13018/46/2005-Delhi-I(NC)
BHARAT SARKAR/GOVERNMENT OF INDIA
GRIH MANTRALAYA/MINISTRY OF HOME AFFAIRS

North Block, New Delhi,
Dated 16th January, 2006

To
Chief Secretary,
(Governments of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Haryana, Bihar, Jharkhand, J&K, Himachal Pradesh, Orissa, Maharashtra, Uttaranchal, Punjab and NCT of Delhi)

Subject : Sanction of "rehabilitation package" to provide relief to the victims of 1984 riots.

Sir/Madam,

I am directed to say that in pursuance of the assurances given by the Prime Minister and the Home Minister during discussion on the Report of Justice Nanavati Commission of Inquiry into 1984 riots in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the matter has been considered by the Government and it has been decided to sanction ex-gratia amount and other assistance to the victims of 1984 riots as mentioned below:

- (i) Ex-gratia amount @ Rs. 3.5 lakh would be paid in each case of death during the riots. This will be in addition to the amount already paid by the respective State Governments;
- (ii) Ex-gratia amount in case of injuries will be paid @ Rs.1.25 lakh minus the amount already paid by the State Governments;
- (iii) All death cases which took place in trains during the 1984 riots would also be considered for payment of ex-gratia after due verification. The Government of Punjab, Ministry of Defence and Railways are to assist in verification of claims and identifying such cases;
- (iv) No new claims for grant of ex-gratia for death or injury would be entertained. Only those who received ex-gratia earlier should be eligible for the enhanced additional ex-gratia amount. However, if there are any pending or disputed cases which are awaiting decision for want of the necessary proof /evidence, such cases can be considered if they are finally accepted as genuine claims;
- (v) Ex-gratia for damaged residential properties would be paid @ 10 times the amount originally paid after deducting the amount already paid;

- (vi) Ex-gratia for damaged uninsured commercial/industrial properties would be paid @ 10 times the amount minus the amount already paid;
- (vii) Children/family members of those who died in the riots of 1984 will be given preference in recruitment in para-military forces, IR Battalions, State Police Forces, Public Sector Undertakings and other State and Central Government Departments by giving necessary age relaxation;
- (viii) The Central Government/State Governments may launch a special recruitment drive to accommodate eligible members from riot affected families;
- (ix) Those who had lost their jobs in other States would be allowed to rejoin by treating the period of absence as 'dies-non';
- (x) Those who had to leave their jobs due to riots and have already crossed the age of superannuation may be given necessary pensionary benefits by relaxing the normal rules to the extent possible;
- (xi) The State Governments may grant pension to all the widows and old aged parents of those who were killed in the 1984 riots at the uniform rate of Rs. 2500/- per month for the whole life from a prospective date. Wives of those who have suffered disability of 70% or more and those who are missing since 1984 may also be provided pension at the same rate;
- (xii) Approximately 22,000 families of victims of the riots, which migrated to Punjab from other riot affected States and are still living there, would be paid Rehabilitation Grant @ Rs. 2 lakh per family. Similarly placed families of victims of the riots living in other States may also be given Rehabilitation Grant at the rate of Rs. 2 lakh per family.

2. It has further been decided that the entire expenditure on payment of ex-gratia in case of death and injury and ex-gratia for damaged residential properties and damaged uninsured commercial/industrial properties and rehabilitation grant as indicated at para 1(xii) above would be borne by the Central Government. The expenditure on payment of pension to the widows and old aged parents of those who were killed in 1984 riots, wives of those who have suffered disability of 70% or more and those who are missing since 1984 should be borne by the respective State Government.

3. The Governments of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Haryana, Bihar, Jharkhand, J&K, Himachal Pradesh, Orissa, Maharashtra, Uttaranchal, Punjab and NCT of Delhi are requested to take immediate necessary steps to grant ex-gratia and other assistance to the victims of 1984 riots as per the following guidelines:

- (i) The State Governments will, immediately on receipt of this letter, issue a notice for inviting claims from the riot victims for payment of ex-gratia in case of death/injury and compensation for damage to residential/commercial/industrial properties;
- (ii) Each State Government will publicize the particulars of officers authorised to receive claims from riot victims. They will also nominate a senior officer as "Liaison Officer" for this purpose. His/her particulars will be communicated to the Ministry of Home Affairs;

- (iii) All the claims will be duly verified/scrutinised by local administration/agency of State Governments;
- (iv) Each State Government will constitute a Committee, which will consider the verified/scrutinised claims and give recommendation whether the claim should be accepted for payment or rejected.
- (v) Based on the recommendation of the Committee, the State Governments will initially make disbursement of the amount from their own budget;
- (vi) After making disbursement, the State Governments will calculate the total expenditure incurred on payment of ex-gratia/compensation and seek reimbursement from the the Ministry of Home Affairs;
- (vii) All payments to the riot victims will be made through "account payee cheques" only. In case a beneficiary does not have a bank account, the State Government will arrange a bank account to be opened in his/her name before the payment is made.
- (viii) The State Governments would review the procedures prescribed for verification/scrutiny of claims to make it simple and less cumbersome to avoid delay and harassment to the riot victims;
- (ix) In cases where the claims are supported by proof of having received the amount of compensation paid by the State Governments earlier, that may be considered as adequate and no additional proof may be required. It would be ensured that the claims are not rejected on technical/flimsy grounds.


4. In order to ensure that the claims are settled and assistance provided to the riot victims in a time bound manner, the State Governments are requested to take action as per the following time schedule:

- (i) Issue of notice by the State Governments for inviting claims and receipt of claims from riot victims; - By 31.1.2006
- (ii) Constitution of a Committee by each State Government to scrutinise the verified claims and make recommendation for payment or otherwise; - By 31.1.2006
- (iii) Verification of claims by local administration/agency of State Governments, scrutiny of verified claims by the Committees and submission of recommendation by the Committee to State Government; - By 15.2.2006
- (iv) Disbursement of the amount by the State Government to the riot victims; - By 31.3.2006
- (v) Submission of demand by State Governments to the Central Government for reimbursement of the amount; - By 15.4.2006

(vi) Reimbursement of amount to the State Government by the - By 31.5.2006
Ministry of Home Affairs.

5. This issues with the approval of the Integrated Finance Division of the Ministry of Home Affairs vide their Dy. No. 3569/AS&FA(H) dated 10th January, 2006.

Yours faithfully,



(I. B. Karn)
Director(Delhi)

Telefax: 23092670

E-mail: dirdelhi@nic.in

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (i) All Ministries/Departments of the Government of India;
- (ii) All States/ Union Territories;
- (iii) All attached and subordinate offices, PSUs/Autonomous Bodies etc. of the Ministry of Home Affairs;
- (iv) Commissioner of Delhi Police;
- (v) Department of Personnel and Training with the request to give necessary age relaxation to various Ministries/Departments as and when approached by them for implementation of the decisions regarding employment;
- (vi) Ministry of Finance (Department of Expenditure);
- (vii) Joint Secretary, Police Division, MHA for necessary action on paragraphs (1) (vii) to (1) (x);
- (viii) Integrated Finance Division, MHA;



(I. B. Karn)
Director(Delhi)

सं. यू. 13018/46/2005-दिल्ली-1 (एन सी)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * * *

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2006

सेवा में

मुख्य सचिव,

(उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

विषय : 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए "पुनर्वास पैकेज" की स्वीकृति ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1984 के दंगों की जांच करने संबंधी न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की रिपोर्ट पर लोक सभा एवं राज्य सभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुसरण में इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा 1984 के दंगा पीड़ितों को निम्नानुसार अनुग्रह राशि तथा अन्य सहायता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :

- (i) दंगों के दौरान हुई मौत के प्रत्येक मामले में 3.5 लाख रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होगी;
- (ii) चोट के प्रत्येक मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान 1.25 लाख रु. में से राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर किया जाएगा;
- (iii) 1984 के दंगों के दौरान रेलगाड़ियों में हुई मौत के सभी मामलों पर भी उचित सत्यापन के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय दलों के सत्यापन तथा इस प्रकार के मामलों की शिनाख्त करने में मदद करेंगे;
- (iv) मृत्यु तथा चोट के लिए अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने संबंधी किसी भी नए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। पहले अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के पात्र होने चाहिए। तथापि, यदि कोई संबंधित अथवा ऐसे विवादित मामले हों, जिन पर आवश्यक सबूत/साक्ष्य के अभाव में निर्णय नहीं हुआ हो तो ऐसे मामलों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उन्हें वाजिब दावों के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया हो;

- (v) क्षतिग्रस्त रिहायशी सम्पत्तियों के लिए वास्तव में दी गई राशि की 10 गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;
- (vi) क्षतिग्रस्त, बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्ति के लिए राशि की दस गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;
- (vii) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को आयु सीमा में आवश्यक छूट देकर अर्ध-सैनिक बलों, आई आर बटालियनों, राज्य पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी;
- (viii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा दंगा प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को नौकरी दिए जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू कर सकती है;
- (ix) अन्य राज्यों में अपनी नौकरी गंवा चुके व्यक्तियों को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति की अवधि को 'अकार्य दिवस' के रूप में माना जाएगा;
- (x) जिन व्यक्तियों ने दंगों के कारण अपनी नौकरियां गंवा दी थीं और जो अधिवर्षिता की आयु पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें जहां तक संभव हो सामान्य नियमों में छूट देकर पेंशन संबंधी आवश्यक लाभ दिए जाएंगे;
- (xi) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की सभी विधवाओं और वृद्ध माता-पिता को राज्य सरकारों द्वारा एक भविष्यलक्षी तारीख से जीवन भर के लिए 2500/-रु. प्रतिमाह की समान दर से पेंशन दी जाएगी। जो व्यक्ति 70% से अधिक विकलांग हो चुके हैं या जो 1984 से अब तक लापता हैं, उनकी पत्नियों को भी इसी दर से पेंशन प्रदान की जाएगी;
- (xii) दंगों से प्रभावित लगभग 22,000 परिवारों को, जो दंगा प्रभावित अन्य राज्यों से पंजाब में पलायन कर गए थे और अभी तक वहीं पर रह रहे हैं, 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह अन्य राज्यों में रह रहे, दंगा पीड़ित परिवारों को भी 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि मृत्यु और घायल होने के मामले में अनुग्रह राशि, क्षतिग्रस्त रिहायशी संपत्तियों और क्षतिग्रस्त बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्तियों के लिए अनुग्रह राशि और उक्त पैरा 1 (xii) में यथाउल्लिखित पुनर्वास अनुदान पर होने वाले पूरे व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं और वृद्ध माता-पिता तथा 70% विकलांग हो चुके व्यक्तियों और 1984 से अब तक लापता व्यक्तियों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

3. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से अनुरोध है कि वे 1984 के दंगा पीड़ितों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुग्रह अनुदान एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए :

- (i) राज्य सरकारें इस पत्र के प्राप्त होने पर, तत्काल, मृत्यु/घायल होने के मामले में अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए तथा आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्तियों को क्षति पहुंचने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए दंगा-पीड़ितों से दावे आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करेंगी;
- (ii) प्रत्येक राज्य सरकार दंगा पीड़ितों से दावे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के ब्यौरे प्रकाशित करेगी। वे इस प्रयोजन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को "संपर्क अधिकारी" के रूप में भी नामित करेगी। उस अधिकारी के ब्यौरे गृह मंत्रालय को सूचित किए जाएंगे;
- (iii) सभी दावे राज्य सरकारों के स्थानीय प्रशासन/एजेंसी द्वारा भलीभांति सत्यापित/संवीक्षित किए जाएंगे;
- (iv) प्रत्येक राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जो सत्यापित/संवीक्षित दावों पर विचार करेगी और सिफारिश देगी कि दावा भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाए अथवा अस्वीकृत किया जाए;
- (v) समिति की सिफारिश के आधार पर, राज्य सरकारें पहले स्वयं के बजट में से राशि संचित करेगी;
- (vi) संचितरण के बाद, राज्य सरकारें अनुग्रह अनुदान/क्षतिपूर्ति के भुगतान पर किए गए कुल व्यय की गणना करेंगी और गृह मंत्रालय से प्रतिपूर्ति मांगेगी;
- (vii) दंगा पीड़ितों को सभी भुगतान केवल 'एकाउंट पेई बैंक' द्वारा किए जाएंगे। यदि किसी पीड़ित का बैंक खाता नहीं है तो राज्य सरकारें भुगतान करने से पहले उनके नाम से एक बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगी;
- (viii) राज्य सरकारें दावों के सत्यापन/संवीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेंगी ताकि इसे सरल एवं अड़चनरहित बनाया जा सके जिससे कि दंगा पीड़ित विलंब और उत्पीड़न से बच सकें;
- (ix) उन मामलों में जहाँ दावों के साथ राज्य सरकार द्वारा पहले प्रदान की गई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रमाण हो उसे पर्याप्त समझा जाएगा और किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दावों को तकनीकी/मामूली आधार पर अस्वीकृत न किया जाए।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंगा पीड़ितों को समयबद्ध तारीख से दावों का निपटान किया जाए तथा सह्यता मुहैया कराई जाए, राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित समय-सूची के अनुसार कार्रवाई करें :-

- (i) दंगा पीड़ितों से दावे आमंत्रित करने के लिए सरकारों - 31.1.2006 तक द्वारा नोटिस जारी करना तथा दावे प्राप्त करना;
- (ii) सत्यापित दावों की संवीक्षा तथा भुगतान अथवा अन्यथा - 31.1.2006 तक की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना;
- (iii) स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकारों की एजेंसी द्वारा दावों का - 15.2.2006 तक सत्यापन, समिति द्वारा सत्यापित दावों की संवीक्षा तथा समिति द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश की प्रस्तुति;

- (iv) राज्य सरकार द्वारा दंगा घड़ितों को राशि का सवितरण; - 31.3.2006 तक
 (v) राज्य सरकारों द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार को मांग की प्रस्तुति; - 15.4.2006 तक
 (vi) गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राशि की प्रतिपूर्ति। - 31.5.2006 तक

5. इसे गृह मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 10 जनवरी, 2006 की डायरी सं. 3569/ एएसएंडएफए (एच) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,



(अनु भूषण कर्ण)


निदेशक (दिल्ली)

टेलीफ़ैक्स : 23092670

ई मेल : dirdelhi@nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं कार्रवाई के लिए प्रेषित :

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग;
- (ii) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र;
- (iii) गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि;
- (iv) पुलिस आयुक्त, दिल्ली;
- (v) कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रोजगार संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा जब और जैसे सम्पर्क किए जाने पर आयु में आवश्यक छूट देने के अनुरोध के साथ प्रेषित;
- (vi) वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग);
- (vii) संयुक्त सचिव, पुलिस प्रभाग, गृह मंत्रालय को पैराग्राफ (1) (vii) से (1) (x) तक आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु;
- (viii) एकीकृत वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय।



(अनु भूषण कर्ण)

निदेशक (दिल्ली)